



2026:AHC:10577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ख संख्या - 119/2026

प्रभात कुमार राय

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : मोहित वर्मा

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. यह रिट याचिका तत्काल दायर की गई है, जिसमें यूपीसीएच. अधिनियम की धारा 9क(2) के तहत केस संख्या टीबी शून्य (रणजीत राय बनाम कमलेश और अन्य) का शीघ्र निपटारा किए जाने का अनुरोध किया गया है; यह मामला वर्तमान में समेकन अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष विचारार्थ लंबित है, और इसके निपटारे की मांग निर्धारित समय-सीमा के भीतर की गई है।
3. यह निवेदन है कि यूपीसीएच. अधिनियम की धारा 9क(2) के तहत आपति 27.08.2021 से ही विचाराधीन है, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त आपति में विरोधी पक्ष उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले का शीघ्रता से निपटारा करने हेतु कोई निर्देश जारी किया जाता है।
5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। इसके साथ ही, प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद—और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना—उपर्युक्त मामले का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से, शीघ्रतापूर्वक करे; अधिमानतः, यह निर्णय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दस महीने की अवधि के भीतर किया जाए।

6. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

जनवरी 16, 2026

वीआर

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

"Translated, Corrected & Authenticated by SHIKHAR CHANDRA

(ADVOCATE) HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.O.R - A/S1272/2022

UP REGN. No. UP09028/2020"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"